कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

पुनः निविदा विज्ञप्ति

क्रमांक / 174 / भू.अ. / स्था–1. / 2017 राजनांदगांव, दिनांकः 12 / 10 / 2017

मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत् राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर तद्नुसार नवीन भू–अभिलेख तैयार किया गया है तथा भूखण्ड धारकों को उनके द्वारा धारित आबादी भूमि का निशुल्क पट्टा वितरण किया जाना है।

अतः मुख्यमंत्री आबादी पट्टों के फोटोकापी एवं लेमिनेशन कार्य हेतु सीलबंद निविदा पोस्ट ऑफिस / समक्ष के माध्यम से दिनांक 24.10.2017 को सायं 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदा पत्र एवं नियम–शर्ते जिला राजनांदगांव की वेबसाईट http://rajnandgaon.gov.in पर दिनांक 10.10.2017 से देखा जा सकता है।

कमांक	कार्य का विवरण
1	आबादी पट्टा का लेमीनेशन एवं फोटोकॉपी (दर प्रति पेज)

उक्त निविदा भरने हेतु नियम एवं शर्ते तथा निविदा फार्म दिनांक 10 / 10 / 2017, समय दोपहर 12.00 बजे से कार्यालय (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव के कक्ष कमांक 45 से प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 / 10 / 2017, समय दोपहर 3.00 बजे तक है तथा निविदा दिनांक 24 / 10 / 2017 को समय सायं 4.00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कलेक्टर
राजनांदगांव

क्रमांक / 3030 / भू.अ. / स्था–1. / 2017 राजनांदगांव, दिनांकः 12 / 10 / 2017
प्रतिलिपि :–

01. महाप्रबंधक , छ.ग. संवाद महिला थाना के पास, रायपुर की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
02. संचालक, जनसंपर्क, नया रायपुर को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
03. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला राजनांदगांव की ओर दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर
राजनांदगांव

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

निविदा की नियम व शर्ते

क्रमांक /3028/भू.अ./स्था–1./2017 राजनांदगांव, दिनांकः 12/10/2017

कार्या. निविदा विज्ञप्ति क्र 174/भू.अ./स्था.1/2017 राजनांदगांव दिनांक 12/10/2017 के द्वारा जिला राजनांदगांव के ग्रामों की पुरानी आबादी भूमि के पट्टों के लेमिनेशन कार्य एवं फोटो कापी हेतु निविदा निम्नलिखित नियम व शर्तो पर लागू की जाती है।

1, निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/अधिकृत कोरियर के द्वारा ही कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जमा की जा सकेगी।

2, निविदा पत्र दिनांक 24.10.2017 दोपहर 03 बजे तक प्रदाय की जावेगी। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.10.2017 को अपरान्ह 3 बजे तक होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 24.10.2017 को 4 बजे जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 51 (संयुक्त कलेक्टर) के कक्ष में खोली जावेगी जिसमें निविदा कर्ता या उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि रह सकेंगे।

3, निविदा हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 75,000 (पचहत्तर हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो कलेक्टर राजनांदगांव के नाम से देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि की राशि संलग्न नहीं होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

4, निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफे में प्रपत्र–1 से संबंधित अभिलेख तथा संस्था का वाणिज्य कर प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, समाशोधन प्रमाण पत्र, अन्य जिलो का कार्यादेश रखा जावेगा। निविदा दाताओं द्वारा आयकर अदा किया गया है एवं उस पर कोई बकाया नहीं है इस आशय का समाशोधनप प्रमाण पत्र प्रथम लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा दूसरे लिफाफे में प्रपत्र 2 सामग्री का मूल्य कथन पत्रक (निविदा पत्र) तद्नुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा।

5, समिति द्वारा सर्वप्रथम लिफाफे प्रपत्र 1 को खोला जायेगा। वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात मूल कथन पत्रक 2 खोला जावेगा। प्रथम लिफाफे पर वांछित दस्तावेज नहीं होने पर निविदा को अमान्य करते हुये कथन पत्रक नहीं खोला जावेगा एवं उस निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा। या निविदा निर्धारित अंतिम तिथि तक समय के पश्चात् प्राप्त होती है तो वह नहीं खोली जावेंगी। तथा वापिस लौटा दिया जायेगा। निविदा वापिस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि तथा समय अंकित जावेगा।

6, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

7, किये जाने वाले कार्य की दरे अनुमोदित होने पर प्रथम दर अनुमोदित संस्थान एवं द्वितीय न्यूनतम दर अनुमोदित संस्थान की सुरक्षा निधि राशि रोककर शेष संस्थाओं की सुरक्षा निधि तत्काल वापिस कर दी जावेगी।

8, पुरानी आबादी भूमि के पट्टो के लेमिनेशन कार्य एवं फोटोकापी करने हेतु संबंधित तहसील में जाकर मशीन को निर्धारित कक्ष में स्थापित कर किया जाना अनिवार्य होगा।

9, लेमिनेशन किये गये पूर्व के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10, लेमिनेशन का कार्य निविदाकर्ता को ही करना होगा।

11, अन्य जिलों के लेमिनेशन कार्य करने का कार्यादेश संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

12, कार्यादेश जारी होने के पश्चात् 01 माह में कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए सुरक्षा निधि को राजसात की जावेंगी।

13, किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये बंधनकारी होगा।

कलेक्टर
राजनांदगांव